राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

क्रमांक-एफ5/मुख्या./दुर्घ/प्रशि./24/1051 दिनांक 12.7.2024

परिपत्र

निगम वाहनों की दुर्घटनाओं में कमी लाने के सम्बंध में समय-समय पर आदेशों एवं परिपत्रों के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे है, किन्तु फिर भी दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। अभी हाल ही में घटित विभिन्न गम्भीर/प्राणघातक दुर्घटनाओं में हुई जन हानि से यह प्रतीत होता है कि मुख्यालय से जारी निर्देशों की सख्ती से पालना नहीं की जा रही है,जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। यह स्थिति गम्भीर चिन्ता का विषय है, इससे निगम को आर्थिक हानि होती है तथा निगम की प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः भविष्य में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो एवं दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने के लिए निम्नलिखित निर्देश पुनः प्रसारित किये जाते हैः-

1. निगम चालकों एवं ऐजेन्सी के माध्यम से अनुबन्ध पर लिये गये चालको से श्रम कानून के तहत डयूटी ली जावे तथा साप्ताहिक विश्राम भी श्रम कानून के तहत दियें जावे, ताकि चालक तनावमुक्त होकर वाहन का संचालन कर सकें।
2. अनुबन्धित वाहनों पर कार्यरत चालकों को भी श्रम कानूनो के तहत विश्राम देने हेतु अनुबन्धित वाहन स्वामी को पाबन्द किया जावें।
3. ऐजेन्सी के माध्यम से चालकों को अनुबन्ध पर लेते समय परीक्षण किया जाकर वाहन संचालन में कुशल पाये जाने की स्थिति में ही अनुबंध पर रखा जावे।
4. प्रत्येक चालक/परिचालक को मार्ग पर भेजते समय/मार्ग पर ब्रेथ ऐनेलाईजर से परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जावे। नशे में पाये जाने वाले कर्मचारी को डयूटी पर नहीं भिजवाया जावे तथा उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।
5. 50 वर्ष से अधिक आयु के चालकों का वर्ष में दो बार नेत्र/शारीरिक परीक्षण अवश्य करवाया जावे।
6. किसी भी स्थिति में फिटनेस रहित वाहन/लाईसेन्स नवीनीकृत रहित चालक को मार्ग पर वाहन संचालन हेतु नहीं भेजा जावे।
7. मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशानुसार चालकों को प्रशिक्षण के लिए चालक प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर में भिजवाया जावे।

I.T. 1556
15/07/24

8. वाहन संचालन के दौरान चालको द्वारा मोबाइल/रेडियो/टेप रिकॉर्डर आदि का उपयोग नही किया जावे।
9. वाहन को मार्ग पर भेजने से पूर्व दुर्घटनाओं की सभी सम्भावनाओं का निराकरण कर ही मार्ग पर भेजी जावे।
10. चालक द्वारा वाहन संचालन करते समय सीट बेल्ट का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
11. चालको को धुंध/कोहरा में वाहन को विशेष सावधानी रखकर संचालन करने के लिए समझाइश की जावे। धुंध क्षेत्र में संचालित वाहनो में फॉग लैम्प लगवाया जाना सुनिश्चित करे।
12. प्रत्येक वाहन में अग्नि शमन यंत्र चालू हालत में एवं फर्स्ट एड बॉक्स में औषधि के किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
13. वाहनो की आपातकालीन खिड़कियां सही स्थिति में होना सुनिश्चित की जावे।
14. सभी वाहनों में निर्धारित स्थान पर रिफ्लेक्टिव टेप लगी होना सुनिश्चित की जावे।
15. निगम एवं अनुबन्धित वाहनो में निरीक्षण दलो द्वारा वाहन का निरीक्षण करते वक्त यह भी जांच करे कि वाहन में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील प्रदार्थ का परिवहन तो नही किया जा रहा है।
16. वाहन पर कार्यरत चालक/परिचालक वाहन संचालन के दौरान धुम्रपान नही करें व यात्रा के दौरान किसी भी यात्री द्वारा भी धुम्रपान नही किया जाना सुनिश्चित करेगे।

उपरोक्त बिन्दुओं की कठोरता से पालना के लिये सभी कर्मचारियों/चालकों/परिचालकों को पाबन्द किया जावें तथा परिपत्र को आगार कार्यशाला/आगार कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।

(श्रेया गुहा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक–एफ5/मुख्या./दुर्घ/प्रशि./24/1051 दिनांक– 12/7/24

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदया, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।

2. समस्त विभागाध्यक्ष..... राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।

3. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।

4.कार्यकारी प्रबन्धक (जन सर्म्पक) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।

5.जोनल मैनेजर/जोनल इंजीनियर, को भेजकर लेख है कि निरीक्षण के दौरान वाहनों में उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावे।राजस्थान परिवहन निगम, ...जोन।

6.मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (संचालन) राजस्थान परिवहन निगम,..... आगार।

7.निजी/आदेश पत्रावली।

रविसोनी

(रवि सोनी) 12.7.24
कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक)